COVID-19
URGENT

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./के/2020/15467-93 ग्वालियर,दिनांक 25/09/2020

प्रति

समस्त संचालक
समस्त निजी नर्सिंग कॉलेज
जिला ग्वालियर

विषयः— नर्सिंग कॉलेज के संचालकों की बैठक दिनांक 23.09.2020 में लिये गये निर्णय के पालन बाबत ।
संदर्भः— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक आई.डी.एस.पी./के/2020/14972—78 दिनांक 23.09.2020 एवं इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/आई.डी.एस.पी./के/2020/15232—38 दिनांक 24.09.2020 ।

कृपया इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करें ।

दिनांक 23.09.2020 को अपर जिला मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आपके नर्सिंग कॉलेज के बी.एस.सी. तृतीय /चतुर्थ वर्ष एवं जी.एन.एम.अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को दिनांक 25.09.2020 को प्रातः 11 बजे जी.आर.मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित कराये जाने हेतु सूचित किया गया था ।

2/ प्रेषित सूचना के अनुक्रम में केवल बी.आई.एम.आर.स्कूल ऑफ नर्सिंग,कॉलेज ऑफ नर्सिंग साईस एण्ड रिसर्च ग्वालियर,(महाराणा प्रताप कॉलेज) ग्रंथम स्कूल ऑफ नर्सिंग साईस ,जय इन्सटीट्यूट ऑफ नर्सिंग एण्ड रिसर्च ग्वालियर, रामकृष्णा स्कूल ऑफ नर्सिंग, साई श्रृद्वा नर्सिंग कॉलेज ग्वालियर, शिवनाथ सिंह कॉलेज ऑफ नर्सिंग, सोफिया स्कूल ऑफ नर्सिंग एण्ड कॉलेज ग्वालियर के छात्र/छात्रायें ही उपस्थित हुये ।

3/ कोविड—19 के अन्तर्गत मरीजों की उपचारात्मक एवं क्षेत्रीय स्तर पर प्रतिरोधात्मक कार्यवाही हेतु नर्सिंग छात्र/छात्राओं की सेवाओं की अत्यंत आवश्यकता है , एवं इस हेतु उन्हें प्रशिक्षण भी दिलाया जाना अनिवार्य है ।

4/ अतः इस पत्र के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पैरा 02 को छोडकर शेष रहे नर्सिंग कॉलेज के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण दिनांक 29.09.2020 को प्रातः 11 बजे डा भगवत सहाय सभागार मेडीकल कॉलेज ग्वालियर में आयोजित होगा ।

5/ अतः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 29.09.2020 को प्रातः 11 बजे आपके कॉलेज से (उक्त पैरा 02 मे छोडकर शेष कॉलेज) के बी.एस.सी. तृतीय /चतुर्थ वर्ष एवं जी.एन.एम.अन्तिम वर्ष के छात्र/छात्राओं को 25 छात्र/छात्राओं को कोविड—19 कार्य से संबधित प्रशिक्षण हेतु डा भगवत सहाय सभागार मेडीकल कॉलेज ग्वालियर मे उपस्थित कराये जाने का कष्ट करें ।

6/ डेप्यूट किये जाने वाले छात्र/छात्राओं के साथ एक फैकल्टी को प्रशिक्षण में उपस्थित होने वाले छात्र/छात्राओं की सूची मय उनके मोबाईल क्रमांक सहित प्रस्तुत करायी जावे ।

7/ आगामी प्रशिक्षण में जिन कॉलेज से छात्र/छात्रायें उपस्थित नहीं होगें उन कॉलेज के संचालकों के विरूद्व ,यह मानते हुये कि वे कोविड—19 वैश्विक महामारी में असहयोग कर रहे है उनके कॉलेज के पंजीयन के निरस्तीकरण के साथ साथ वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ग्वालियर(म.प्र.)

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./के/2020/ ग्वालियर दिनांक 25/09/2020

प्रतिलिपीः— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(1) स्वास्थ्य आयुक्त महोदय संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र.भोपाल ।
(2) आयुक्त महोदय ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
(3) कलेक्टर महोदय जिला ग्वालियर ।
(4) क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग ग्वालियर ।
(5) अधिष्ठाता महोदय जी.आर.मेडीकल कॉलेज ग्वालियर ।
(6) अध्यक्ष म.प्र.प्रायवेट नर्सिंग कॉलेज एसोषियेषन जिला शाखा ग्वालियर की ओर भेजकर लेख है कि कृपया समस्त नर्सिंग कॉलेज संचालक को सूचित करना सुनिश्चित करें ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला ग्वालियर(म.प्र.)